

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19 ]  
No. 19 ]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2008/माघ 11, 1929  
DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2008/MAGHA 11, 1929

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 301  
[N.C.T.D. No. 301

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 जनवरी, 2008

सं. फा. 21(74)/सैक्रेटरी/एस.टी.ए./2001/469.—  
मोटर वाहन, अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 89 की  
उपधारा (2), धारा 2 के खंड 41 के साथ पठित में प्रदत्त शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  
दिल्ली, सहर्ष, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण का, श्री जी. पी.  
मित्तल, सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी मामले) राष्ट्रीय राजधानी  
क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सहित तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र  
दिल्ली के लिए गठन करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के  
आदेश से तथा उनके नाम पर,

दी. मो. स्पोलिया, प्रधान सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st January, 2008

No. F. 21(74)/Secy./STA/2001/469.—In exercise of  
the powers conferred by sub-section (2) of Section 89

read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles  
Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi, is pleased to constitute  
State Transport Appellate Tribunal for the National Capital  
Territory of Delhi, consisting of Shri G. P. Mittal, Secretary  
(Law, Justice & Legislative Affairs), Government of  
National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lieutenant  
Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
D. M. SPOLIA, Pr. Secy.-cum-Commissioner

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 31 जनवरी, 2008

सं. 117/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली राजपत्र (असाधारण),  
संख्या 185, भाग-IV, (एन.सी.टी.डी. संख्या 206) दिनांकित 29 अक्टूबर,  
2007, में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 275/नियम/डी.एच.सी. दिनांकित  
29 अक्टूबर, 2007, में कुछ प्रकाशन त्रुटियां हुई हैं।

इसे इस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए :-

1. प्रकाशित अधिसूचना की द्वितीय पंक्ति के शब्दों "उप-  
धारा" तथा "धारा 28 की" के मध्य संख्या "(1)"  
अन्तःस्थापित की जानी चाहिए।

2. अंतिम पैरा में दिए स्पष्टीकरण की चौथी पंक्ति में दिए गए शब्दों "से संबंधित" तथा "अन्य" के मध्य शब्द "पर" को "एक" पढ़ा जाना चाहिए।

न्यायालय के आदेशानुसार,  
अजित भरिहोक, महानिबंधक

**HIGH COURT OF DELHI  
CORRIGENDUM**

Delhi, the 31st January, 2008

**No. 117/Rules/DHC.**—Some printing errors have occurred in the Notification No. 275/Rules/DHC dated 29th October, 2007 published in Delhi Gazette (Extraordinary), No. 185, Part-IV, (NCTD No. 206) dated 29th October, 2007. It should be read as under :—

1. In the second line of the published Notification, the number "(1)" should be inserted between the words "sub-section" and "of Section 28".
2. In the fourth line of the Explanation, given in the last para, the word "on" between the words "related to" and "another" should be read as "one".

By Order of the Court,  
AJIT BHARIHOKE, Registrar General

सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय  
आदेश

दिल्ली, 31 जनवरी, 2008

सं. एफ. 47/2183/पूर्वी/आरसीएस/07/261.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 127 दिल्ली अधिनियम-3, 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली के उपराज्यपाल, जागृति नगर समूह आवास समिति लि. 2183/स.आ. धारा 37(1)ख दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 दिल्ली अधिनियम, 3 का 2004 के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 30-6-2008 तक बढ़ाई जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी. एस. मीणा, संयुक्त सचिव (पूर्व)

**OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE  
SOCIETIES**

**ORDER**

Delhi, the 31st January, 2008

**No. F. 47/2183/GH/Coop./East/07/261.**—In exercise of the powers conferred by Section 127 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Jagriti Nagar House Building Society Ltd. (No. 2183/GH) from the provisions of Section 37(1)(b) and accordingly extend the period of supersession of the managing Committee and the term administrator of the said Society up to 30-6-2008.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

G. S. MEENA, Jt. Registrar (East)